



GOVERNMENT OF INDIA
STAFF SELECTION COMMISSION



CORRIGENDUM / NOTICE

Subject: Combined Graduate Level Examination, 2011.

F. No. 3/1/2010-P&P. Refer Notice of examination published in the Employment News / Rozgar Samachar dated 19.03.2011 – 25.03.2011 edition.

Candidates may please read Para 5 (A) of the Notice in respect of age limit as follows:-

Category of posts	For	Read
Inspector of Income Tax/Inspector (Central Excise) etc.	18-27 years (Not born earlier than 19.04.1984 and not later than 18.04.1993).	18-27 years (Not born earlier than 15.04.1984 and not later than 14.04.1993).
Statistical Investigator Gr.II	Not exceeding 26 years (Not born earlier than 19.04.1985)	Not exceeding 26 years (Not born earlier than 15.04.1985)
Assistant/Sub Inspector in CBI	20-27 years (Not born earlier than 19.04.1984 and not later than 18.04.1991).	20-27 years (Not born earlier than 15.04.1984 and not later than 14.04.1991).

2. Due to some technical problem some candidates applying on-line had remitted application fee of ₹ 50 through SBI Challans instead of ₹ 100 during the period 19.03.2011 to 21.03.2011. The Commission has decided not to cancel the candidature of such candidates. They are, however, required to **remit the balance of ₹ 50** in favour of respective Regional Office through Central Recruitment Fee Stamps (CRFS) which may be pasted on print out of their on-line application and cancelled it from the Post Office from where purchased, in such a way that cancellation stamp flows on the application also, clearly indicating date and name of the Post Office. In case, the print out of application is not available with them, they may send CRFS pasted and cancelled as mentioned above on application addressed to the concerned Regional Office indicating their Name and Registration Number. As the error has been rectified on 21.03.2011, this exception will be available to only those candidates who have applied on-line upto 21.03.2011.

3. Attention of candidates is also invited to S.No.8 and 11 of "IMPORTANT INSTRUCTIONS TO CANDIDATES" in the Notice mentioned above. Since 14.04.2011 has been declared as Gazetted Holiday by the Govt. of India and 15.4.2011 being a Holiday in certain States, **it has been decided to extend the last date of submission of application to 18.04.2011**. The facility of on-line application for Part I registration will be available till **13.04.2011** instead of 12.04.2011 and Part II Registration will be available till **18.04.2011 (5.00 PM)** instead of 15.04.2011.

4. However, **15.04.2011** will remain the date of reckoning for age, essential qualification, OBC status, etc. as mentioned in the notice.

Others provisions of the Notice remain unchanged.



भारत सरकार
कर्मचारी चयन आयोग

शुद्धि पत्र/सूचना

विषय : संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2011

फा सं.3/1/2010-नीएवंयो एम्प्लायमेंट न्यूज/रोजगार समाचार के दिनांक 19-03-2011-25-03-2011 के अंक में प्रकाशित परीक्षा की विज्ञप्ति को संदर्भित करें।

अभ्यर्थी कृपया आयु सीमा के बारे में इस विज्ञप्ति के पैरा 5(क) को निम्नलिखित अनुसार पढ़ें :

पदों की श्रेणी	के लिए	पढ़ें
आयकर निरीक्षक/निरीक्षक(केन्द्रीय उत्पाद) इत्यादि	18-27 वर्ष (19-4-1984 से पूर्व और 18-4-1993 के बाद जन्म न हुआ हो)	18-27 वर्ष (15-4-1984 से पूर्व और 14-4-1993 के बाद जन्म न हुआ हो)
सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड II	26 वर्ष से अधिक नहीं (19-4-1985 से पूर्व जन्म न हुआ हो)	26 वर्ष से अधिक नहीं (15-4-1985 से पूर्व जन्म न हुआ हो)
सहायक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में उप निरीक्षक	20-27 वर्ष (19-4-1984 से पूर्व और 18-4-1991 के बाद जन्म न हुआ हो)	20-27 वर्ष (15-4-1984 से पूर्व और 14-4-1991 के बाद जन्म न हुआ हो)

2. कुछ तकनीकी खराबी के कारण ऑन-लाइन आवेदन करने वाले कुछ अभ्यर्थियों ने दिनांक 19-3-2011 से 21-3-2011 की अवधि के दौरान भारतीय स्टेट बैंक के चालान के माध्यम से 100/- रु.की बजाए 50/- रु.आवेदन शुल्क जमा कराया था । आयोग ने ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता को अस्वीकार न करने का निर्णय लिया है । तथापि, उनसे अपेक्षित

है कि वे केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकट (केभाशुटि) के माध्यम से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के पक्ष में **शेष 50/- रु. जमा** कराएं। ये टिकटें उनके ऑन-लाइन आवेदन के प्रिंट आउट पर चिपकाई जा सकती हैं और इन्हें उस डाकघर, जहां से इन्हें खरीदा गया है, से इस ढंग से निरस्त करवाई जा सकती हैं कि निरस्तीकरण की छाप आवेदन पर भी, डाकघर की तिथि और नाम सहित स्पष्ट दिखाई दे। यदि उनके पास आवेदन का प्रिंट आउट उपलब्ध नहीं है तो वे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को संबोधित आवेदन में अपना नाम और पंजीकरण संख्या दर्शाते हुए उपर्युक्तानुसार केभाशुटि को चिपकाकर और निरस्त कराकर भेज सकते हैं। चूंकि इस कमी को दिनांक 21-3-2011 को दूर कर दिया गया है, यह अपवाद केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को उपलब्ध होगा, जिन्होंने दिनांक 21-3-2011 तक ऑन लाइन आवेदन किया है।

3. अभ्यर्थियों का ध्यान उपर्युक्त विज्ञप्ति में '**अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश**' की क्रम संख्या 8 और 11 की ओर भी आकर्षित किया जाता है। चूंकि भारत सरकार द्वारा 14-4-2011 को राजपत्रित अवकाश घोषित किया गया है और कतिपय राज्यों में 15-4-2011 को अवकाश है, अतः **आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 18-4-2011** तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। भाग-1 पंजीकरण के लिए ऑन-लाइन आवेदन की सुविधा 12-4-2011 के स्थान पर **13-4-2011** तक उपलब्ध रहेगी और भाग-2 रजिस्ट्रेशन के लिए यह **18-4-2011 (सायं 5.00 बजे)** तक उपलब्ध रहेगी।

4. तथापि अनिवार्य योग्यता, अन्य पिछड़ा वर्ग दर्जा, इत्यादि के निर्धारण की तिथि 15-4-2011 ही रहेगी, जैसा कि इस विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया है।

विज्ञप्ति के अन्य प्रावधान यथावत रहेंगे।